मिसल नम्बर 93/2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :- **93/2019**

सरकार

बनाम

श्रीराम, रामनिवास, धूड़ाराम, फूलचन्द पुत्रान नानचाराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

...................गैर सायलान्

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 27-09-2019

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान् को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं आया। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.92 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.21 हेक्टेयर पर गैर सायलान् श्रीराम,रामनिवास, धूड़ाराम, फूलचन्द पुत्रान नानचाराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने चारो तरफ बाड़ व पत्थर लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायलान् के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमियों के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल फूलचन्द से बाद तामिल प्राप्त हुआ। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक गैर सायलान् ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.92 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.21 हेक्टेयर पर संयुक्त रूप से अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकार धारा 91 का नोटिस सम्यक रूप से तामिल हो चुका है। इसके बावजूद भी गैर सायलान् अनुपस्थित रहे है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायलान् श्रीराम,रामनिवास, धूड़ाराम, फूलचन्द पुत्रान नानचाराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.92 हेक्टेयर

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 93 / 2019
निर्णय दिनांक 27—09—2019

किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.21 हेक्टेयर पर चारो तरफ बाड़ व पत्थर लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान् को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रकरण में गैर सायलान् की अनुपस्थिति में गैर सायलान् के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नागंलिया गुर्जरवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान् को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.92 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.21 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायलान् से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायलान् की **राजस्व ग्राम देवनगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.92 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.21 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27—09—2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) ★

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner